रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 1993/वैशाख 10, 1915
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1993/VAISAKHA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1993

का. आ. 284(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1.(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1993 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के खंड 2 में, उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) 'उर्वरक' का वही अर्थ होगा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 2 के उपखंड (ज) में है किन्तु इसके अंतर्गत ऋजु फॉस्फेटी उर्वरक, ऋजु पोटैशी उर्वरक, एन. पी. उर्वरक, एन. पी. के. उर्वरक, सूक्ष्म-पोषक और पुष्ट उर्वरक नहीं होंगे ।"

[सं. 26-2/92-एफ एम]

के. ए. शिवरामकृष्णन्, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 सं. का. आ. 249(अ), तारीख 25 अप्रैल, 1973 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में उसका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) का. आ. 376(अ) तारीख 5-7-1973
(2) सा. का. नि. 126(अ) तारीख 11-3-1974
(3) सा. का. नि. 145(अ) तारीख 27-3-1974
(4) सा. का. नि. 360(अ) तारीख 5-8-1974
(5) सा. का. नि. 457(अ) तारीख 8-11-1974
(6) सा. का. नि. 207(अ) तारीख 18-4-1975
(7) सा. का. नि. 208(अ) तारीख 19-4-1975
(8) का. आ. 392(अ) तारीख 28-7-1975
(9) सा. का. नि. 13(अ) तारीख 5-1-1976
(10) सा. का. नि. 49(अ) तारीख 28-1-1976
(11) सा. का. नि. 348(अ) तारीख 20-5-1976
(12) का. आ. 696(अ) तारीख 28-10-1976
(13) सा. का. नि. 19(अ) तारीख 15-1-1977
(14) सा. का. नि. 278(अ) तारीख 16-6-1977
(15) सा. का. नि. 556(अ) तारीख 17-11-1978
(16) सा. का. नि. 71(अ) तारीख 18-2-1981
(17) सा. का. नि. 707(अ) तारीख 1-10-1984

(18) सा. का. नि. 351(अ) तारीख 9-4-1985

(19) सा. का. नि. 2(अ) तारीख 1-1-1986

(20) का. आ. 1162(अ) तारीख 12-12-1988

(21) का. आ. 28(अ) तारीख 13-1-1992

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS

(Department of Fertilisers)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 1993

S.O. 284(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act. 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertilisers (Movement Control) Order, 1973, namely :—

1. (1) This Order may be called the Fertilisers (Movement Control) Amendment Order, 1993.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973 in clause 2, for the sub-clause (b), the following shall be substituted, namely :—

"(b). "Fertiliser" shall have the same meaning as given in sub-clause (h) of clause 2 of the Fertiliser (control) Order, 1985 but shall not include Straight Phosphatic fertilisers, Straight potassic fertilisers, N.P. Fertilizers, N.P.K. Fertiliser, Micro-nutrients and Fortified Fertilisers."

[No. 26-2|92-F.M.]

K. A. SIVARAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

Foot note : The Fertiliser (Movement Control) Order, 1973 was published vide No. S.O. 249(E), dated the 25th April, 1973, and subsequently amended vide .—

(1) S.O. 376(E) dated 5-7-1973

(2) G.S.R. 126(E) dated 11-3-1974

(3) G.S.R. 145(E) dated 27-3-1974

(4) G.S.R. 360(E) dated 5-8-1974

(5) GSR 457(E) dated 8-11-1974

(6) G.S.R. 207(E) dated 18-4-1975

(7) G.S.R. 208(E) dated 29-4-1975

(8) S.O. 392(E) dated 28-7-1975

(9) G.S.R. 13(E) dated 5-1-1976

(10) G.S.R. 49(E) dated 28-1-1976

(11) G.S.R. 348(E) dated 20-5-1976

(12) S.O. 696(E) dated 28-10-1976

(13) G.S.R. 19(E) dated 15-1-1977

(14) G.S.R. 278(E) dated 16-6-1977

(15) G.S.R. 556(E) dated 17-11-1978

(16) G.S.R. 71(E) dated 18-2-1981

(17) G.S.R. 707(E) dated 1-10-1984

(18) G.S.R. 351(E) dated 9-4-1985

(19) G.S.R. 2(E) dated 1-1-1986

(20) S.O. (1162E) dated 12-12-1988

(21) S.O. 28(E) dated 13-1-1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054; 1993